आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

24.6.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0 – **201/2004–05**

शैनी मंडल, पिता–स्व0 तिनकौड़ी मंडल, ग्राम–बीरबन, सा0–घाट चिकनी, थाना–कुर्साकांटा, जिला–अररिया – पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

1. मथुरानंद झा व दुर्गानन्द झा, पिता–स्व0 चन्द्रानन्द झा, ग्राम–बीरबन, पो0–घाट चिकनी, थाना–कुर्साकांटा, जिला–अररिया – प्रतिवादी प्रथम पक्ष
2. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया – प्रतिवादी द्वितीय पक्ष

आदेश

प्रस्तुत वाद पुनरीक्षणकर्त्ता शैनी मंडल, पिता–स्व0 तिनकौड़ी मंडल, ग्राम–बीरबन, सा0–घाट चिकनी, थाना–कुर्साकांटा, जिला–अररिया की ओर से नामान्तरण अपील वाद सं0 06/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2004 एवं संशोधित आदेश दिनांक 15.1.2005 के विरूद्ध विलम्ब को क्षांत करने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5(1) के तहत आवेदन पत्र सहित समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 21.3.2005 को दाखिल किया गया। जिसे समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 8.6.2005 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया तथा दिनांक 21.8.2015 को इसे विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया। जो उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 1324/वि0, दिनांक 11.9.2015 द्वारा हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
बीरबन	106	120	898 899 900	0.07 ए0 0.44 ए0 0.70 ए0 **कुल 1.21 ए0**

समाहर्त्ता न्यायालय से ही विपक्षीगणों को सूचना निर्गत की गई तथा पक्षकार उपस्थित होकर अपना प्रतिउत्तर भी दाखिल कर चुके है। तत्पश्चात् हस्तांतरण उपरांत पक्षकारों की सुनवाई हेतु अभिलेख को निर्धारित की गई। दिनांक 17.5.2017 को उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

पुनरीक्षणकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि का सर्वे खतियान पुनरीक्षणकर्त्ता के पिता तीनकौड़ी मंडल के नाम से दर्ज था। उनके मृत्युपरांत

24.6.17

उनके उत्तराधिकारी पत्नी एवं पुत्र हुए। जो वादग्रस्त भमि पर दखलकार रहकर जोत आवाद करते आ रहें है। सन् 1963 में विपक्षीगण द्वारा T.S. No. 129/63 मान्नीय मुंसफ न्यायालय, अररिया में दाखिल कर साजिशपूर्ण तरीके से प्रश्नगत भूमि का डिग्री अपने पक्ष में प्राप्त कर लिया गया। उस वक्त पुनरीक्षणकर्त्ता शैनी मंडल नाबालिग थे और बिना अभिभावक के नियुक्ति के प्राप्त किया गया डिग्री प्रभावी नहीं है। जब विपक्षीगणों द्वारा उन्हें प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गई, तब उनके द्वारा दिवानी वाद सं0 129/63 के विरूद्ध मान्नीय मुंसफ न्यायालय में दिवानी वाद सं0 244/2003 दाखिल किया गया, जिसे मान्नीय मुंसफ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। जिसको पुर्नजिवित किये जाने हेतु आवेदक की तरफ से पुनः मान्नीय मुंसफ न्यायालय, अररिया में विविध वाद सं0 23/2017 दाखिल है, जो साक्ष्य पर निर्धारित है। विपक्षी द्वारा अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, अररिया के समक्ष 145 Cr.P.C. के तहत वाद सं0 527M/96 दाखिल किया गया था, जो स्थगित हों गया। पुनरीक्षणकर्त्ता के नाम से नामान्तरण वाद सं0 568/1995–96 द्वारा दाखिल खारिज होकर जमाबंदी सं0 122 दर्ज है।

इनका यह भी कहना है कि पुनरीक्षणकर्त्ता के नामान्तरण के विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में नामांतरण अपील वाद सं0 06/2001–02 दाखिल किया गया था। जिसमें विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा गलत तरीके से दिवानी वाद सं0 244/03 लंबित रहने के बावजूद विपक्षीगणों के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध वे इस मुकदमा को लाये है। अतः वर्त्तमान में प्रश्नगत भूमि पर विविध वाद सं0 23/2017 लंबित रहने की स्थिति में जमाबंदी को यथावत रखे जाने का अनुरोध करते हैं।

दूसरी ओर विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि चन्द्रानंद झा की थी, जो आर0एस0 सर्वे में खतियान गलती से पुनरीक्षणकर्त्ता के पिता के नाम दर्ज हो गया। खयितान प्रकाशन के कुछ दिनों बाद खतियानी रैयत तीनकौड़ी मंडल की मृत्यु हो गई। फलस्वरूप विपक्षीगणों के पूर्वज द्वारा खतियानी रैयत के वारिशानों के विरूद्ध दिवानी वाद सं0 129/1963 दाखिल किया गया, जिसमें द्वितीय पक्ष द्वारा संधि किया गया और प्रश्नगत भूमि का डिग्री उनके पक्ष में हुआ। डिग्री के पश्चात् अंचलाधिकारी, कुर्साकांटा के समक्ष दाखिल खारिज हेतु आवेदन दाखिल किया गया। जिसका विविध वाद सं0 01/81–82 के द्वारा दाखिल–खारिज होकर जमाबंदी सं0 122 मूल दर्ज हुआ तथा वर्ष 1995 तक लगान रसीद प्राप्त किये। वर्ष 1996 में पुनरीक्षणकर्त्तागण खतियान के आधार पर नामान्तरण वाद सं0 568/1995–96 के द्वारा कर्मचारी और अंचल कार्यालय को धोखे में रखकर अपने नाम से दाखिल–खारिज कराकर लगान रसीद प्राप्त किया। उक्त नामान्तरण वाद सं0 568/1995–96 में अचंल कार्यालय द्वारा सूचना चन्द्रानन्द झा के नाम निर्गत की गई। जबकि चन्द्रानन्द

झा की मृत्यु दिनांक 25.10.1971 को हो चुकी थी। जब विपक्षीगणों को पुनरीक्षणकर्त्ता के गलत नामान्तरण की जानकारी प्राप्त हुई तो उनके नामान्तरण के विरूद्ध विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 06/2001–02 दाखिल किया गया। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया ने दिनांक 30.12.2004 को पारित अपने आदेश में विस्तृत रूप से ब्यौरा अंकित करते हुए विपक्षी के दावे को सही पाते हुए अपील को स्वीकृत किया गया। क्योंकि नामान्तरण वाद सं0 568/1995–56 में अंचलाधिकारी, फुर्साकांटा ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दाखिल खारिज किया और मृत व्यक्ति चन्द्रानन्द झा को नोटिस निर्गत किया गया। मृत व्यक्ति के नाम सूचना प्राप्त करने वाले सीताराम सरदार ने शपथ पत्र दाखिल कर निम्न न्यायालय में स्पष्ट किया है कि मृत व्यक्ति वाला नोटिस तामिला में उनका हस्ताक्षर नहीं है। साथ ही अपील वाद में पुनरीक्षणकर्त्ता के एक भाई बटुरन मंडल कभी उपस्थित नहीं हुए। क्योंकि दिवानी वाद सं0 129/63 में उनके द्वारा संधि पत्र किया गया था। साथ ही इस पुनरीक्षण वाद में बटुरन मंडल आवेदक भी नहीं है, जो शैनी मंडल के भाई है। अतः वाद पक्षकार दोष से ग्रसित है। शैनी मंडल द्वारा जो दिवानी वाद सं0 244/2003 माननीय मुंसफ न्यायालय, अररिया में दाखिल किया गया था, वो दिनांक 20.7.2016 को खारिज हो गया। जिसे पुर्नजीवित करने हेतु वर्ष 2017 में विविध वाद सं0 23/2017 मुंसफ न्यायालय में दाखिल किया गया है। उक्त विविध वाद मुंसफ न्यायालय में प्रविष्ट भी नहीं हुआ है। साथ ही शैनी मंडल जब बालिग हुये तो T.S. No. 129/1963 को उन्हें तीन वर्ष के अंदर ही चुनौती दी जानी चाहिये थी। किन्तु वर्ष 1963 के आदेश के विरूद्ध वर्ष 2003 में उनके द्वारा T.S. No. 244/2003 दाखिल किया गया और वह भी खारिज हो चुका है। अतः जब तक दिवानी वाद सं0 129/1963 सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द नहीं हो जाता है, तबतक यह वैद्य है। अतएव विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा पुनरीक्षणकर्त्ता के दावे को अस्वीकृत करते हुए विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश जो वैद्य है, उसे बहाल रखने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों के परिशीलन तथा संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आर0एस0 सर्वे के पूर्व विपक्षीगणों के पिता स्व0 चन्द्रानन्द झा की थी, जिसका खानापुरी, तसदीक उनके नाम दर्ज हुआ, किन्तु गलती से खतियान पुनरीक्षणकर्त्ता के पिता स्व0 तीनकौड़ी मंडल के नाम दर्ज हो गया। खतियान सुधार हेतु विपक्षी के पूर्वज चन्द्रानन्द झा द्वारा खतियानी रैयत तीनकौड़ी मंडल की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उनके वारिशान पत्नी चुटकुलिया देवी, बटुरन मंडल एवं नाबालिग शैनी मंडल के विरूद्ध मान्नीय मुंसफ न्यायालय, अररिया में दिवानी वांद सं0 129/1963 दाखिल किया गया। जिसमें पुनरीक्षणकर्त्ता जो उस वक्त नाबालिग थे, उनकी ओर से वली को न्यायालय द्वारा

अनुमति प्राप्त होने पर बटुरन मंडल, चुटकुलिया देवी एवं शैनी मंडल की ओर से दाखिल संधि पत्र के आधार पर विपक्षी के पूर्वज को दिनांक 26.3.1963 को अंतिम डिग्री प्राप्त हुआ। जिसके आधार पर विपक्षी के पूर्वज के नाम जमाबंदी सं0 122 दर्ज होकर वर्ष 1963 से वर्ष 1995 तक लगान रसीद निर्गत होता रहा। वर्ष 1996 में शैनी मंडल (पुनरीक्षणकर्त्ता) द्वारा अंचल कार्यालय, कुर्साकांटा से खतियान के आधार पर नामान्तरण वाद सं0 568/1995–96 द्वारा दाखिल खारिज कराकर लगान रसीद वर्ष 1996 से 2016 तक प्राप्त करते आ रहें हैं। पुनरीक्षणकर्त्ता के नामान्तरण वाद सं0 568/1995–96 के विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 06/2001–02 दाखिल किया गया। जिसमें विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा विपक्षी के दावे को सही पाते हुए अपील को दिनांक 30.12.2004 को स्वीकृत किया गया। इस बीच मात्र शैनी मंडल की ओर से दिवानी वाद सं0 129/1963 के विरूद्ध दिवानी वाद सं0 244/2003 मान्नीय मुंसफ न्यायालय, अररिया में दाखिल किया गया जो दिनांक 20.7.2016 को खारिज हो चुका है। जिसे पुर्नजीवित करने हेतु उनके द्वारा विविध वाद सं0 23/2017 मान्नीय मुंसफ न्यायालय, अररिया में दाखिल किया गया है, जो प्रविष्टि के बिन्दु पर लंबित है।

चूँकि दिवानी वाद सं0 129/1963 में पारित आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया है, ऐसी परिस्थिति में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 30.12.2004 को वैद्य पाते हुए उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। जिसे बहाल रखते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता के पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया/अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह0—
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ह0—
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 79 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 21 / 06 /2016

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को नामान्तरण अपील वाद सं0 06/2001–02 (मसो0 मुनियाँ देवी ई0 बनाम शैनी मंडल ई0) मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : नामान्तरण अपील वाद सं0 06/2001–02 मूल में।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, कुर्साकांटा को नामान्तरण वाद सं0 568/1995–96 मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : नामान्तरण वाद सं0 568/1995–96 मूल में।

21.6.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया